सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : पापडा, **कैम्प दिनांक 28.06.2018**

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 135/2015 **दायर तारीख :–** 09.12.2015

1. लूणाराम
2. बाबूलाल } पुत्रान भोलाराम
3. लक्ष्मण
4. फूली पुत्री भोलाराम
5. मूसा पुत्र सौणा (मृतक दौराने दावा)
   - 5/1. भैंरू } पुत्रान मुसाराम
   - 5/2. इन्द्राज
   - 5/3. बरजी पत्नी मुसाराम
   - 5/4. शान्ती
   - 5/5. चन्दी
   - 5/6. मीरा } पुत्रियां मुसाराम
   - 5/7. अनोप
   - 5/8. पांची
   - 5/9. कृष्णा पत्नी सुरेश
   - 5/10. हेमन्त पुत्र सुरेश नाबालिक जरिए संरक्षिका माता कृष्णा पत्नी सुरेश पुत्र मुसाराम
   - 5/11. गायत्री पुत्री सुरेश
   - 5/12. मनीषा पुत्री सुरेश नाबालिक जरिए संरक्षिका माता कृष्णा पत्नी सुरेश पुत्र मुसाराम
6. लीला पुत्र तेजा
7. विजय कुमार पुत्र सीताराम

समस्त जाति रैगर निवासी ढहरा तहसील थानागाजी जिला अलवर

–– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वरप्रसाद पुत्र चन्दर जाति गुर्जर निवासी पापडा तहसील विराटनगर।
2. राजदुलारी पत्नी पदमचन्द जैन जाति महाजन निवासी विराटनगर
3. उप पंजीयक, तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर

–– अप्रार्थीगण

उपस्थित :
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

श्री मातादीन शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री सुरेश चन्द शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं॰ 1

निर्णय

निर्णय दिनांक : 28.06.2018

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम चक गौरावडी के साबिक खसरा नम्बर 11 रकबा 23 बीघा 10 बिसवा के हिस्सा 1/2 का खातेदार लादू पुत्र बक्सा तथा शेष हिस्सा 1/2 का खातेदार रामसहाय पुत्र नारायण रहे है। प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज भोलाराम ने खातेदार लादू से उसके हिस्से 1/2 मे से 3 बीघा 7 बिसवा भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.11.1966 को 200/–रूपये मे क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का पूर्वज भोलाराम अनपढ था, जिससे विक्रय पत्र में अमल नहीं करवाया। साबिक खसरा नम्बर 11 के खातेदारान द्वारा भूमि अन्तरण के परिणाम स्वरूप रकबा 3 बीघा भूमि की खातेदारी अर्जुन पुत्र गणेश, सुरज्ञानी पुत्र भग्गा, तथा 5 बीघा 17 बिसवा की खातेदारी सुण्डा, लच्छू, मुरली, छोटिया पिता श्योबक्स के नाम हाल सैटिलमेंट कार्यवाही से पूर्व ही अंकित हो चुकी है तथा शेष रही भूमि 14 बीघा 13 बिसवा की खातेदारी पूर्ववत् मूल खातेदारान के नाम ही दर्ज रह गयी थी, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज भोला द्वारा क्रय की गई भूमि भी शामिल है। उक्तानुसार पूर्ववत खातेदारी दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त रकबे का अन्तरण कर अन्य के नाम खातेदारी दर्ज करवा दी, जबकि मूल खातेदारान द्वारा पहले ही विक्रय कर दिये गये रकबे को पुनः अन्य दीगर व्यक्ति को अन्तरण/विक्रय करने का कोई हक अधिकार नहीं था। हाल खसरा नम्बर 34/0.32 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 11 मे से प्रार्थी के पूर्वज द्वारा क्रय किये गये रकबा 3 बीघा 7 बिसवा का अभिन्न अंग है, किन्तु भूमि क पुनः अन्तरण के तहत अप्रार्थी सं॰ 2 के नाम खातेदारी में दर्ज हुई, उक्त इन्द्राज प्रार्थीगण के हक हकूकों व कब्जे काश्त के विपरीत प्रारम्भ से ही प्रभावहीन है, उक्त इन्द्राज खातेदारी का नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थी संख्या 2 ने आराजी मुतनाजा को अप्रार्थी संख्या 1 को अन्तरित कर दी तथा अप्रार्थी ने नामान्तकरण संख्या 85 दिनांक 09.11.2015 के द्वारा खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली जो सरासर गलत एवं काबिल दुरूस्ती है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अग्रायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थी को खसरा नम्बर 34/0.32 हैक्टेयर से जबरन बेदखल कर खुद कब्जा काश्त नहीं करें एवं प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे। आराजी मुतनाजा की सींव डोल को ध्वस्त नहीं करें, आराजी को अन्य को अन्तरित कर अन्तरण डीड पंजीबद्ध न करें तथा न करावें, आराजी पर किसी प्रकार कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें।

2. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटोप्रति जमाबन्दी खाता संख्या 22, 16 संवत् 2071–2074, फोटोप्रति नक्शा ग्राम चक गौरावडी, फोटोप्रति विक्रय पत्र बहक भोला, फोटोप्रति मिलान क्षेत्रफल, फोटोप्रति जमाबन्दी संवत् 2029 आदि पेश किये।
3. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी सं॰ जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।
4. अप्रार्थी सं॰ 1 का जवाब रहा कि अप्रार्थी संख्या 1 ने आराजी मुतनाजा पूर्व खातेदार अप्रार्थी सं॰ 2 से उचित प्रतिफल अदा कर उसके हक में राजस्व रिकार्ड के आधार एवं कब्जे काश्त के आधार अपने नाम बैयनामा करवाकर कब्जा प्राप्त किया है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अंकन को शून्य कराने के अधिकारी नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 32/0.32 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 11 से बना है, परन्तु प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा क्रय किये गये रकबा 3 बीघा 7 बिसवा का किसी भी प्रकार से अंग नहीं है। यह भी कि प्रार्थीगण के पास खसरा नम्बर 34 का किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्णरूप से कानूनी प्रक्रिया अपनाकर खातेदारी प्राप्त की है, जिस खातेदारी को दुरूस्त या शून्य कराने का प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।
5. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पापडा में पेश हुई। उपस्थित पक्षकार को मजमा–ए–आम सुना गया ।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया । वाके ग्राम चक गौरावडी के साबिक खसरा नम्बर 11 रकबा 23 बीघा 10 बिसवा के हिस्सा 1/2 का खातेदार लादू पुत्र बक्सा तथा शेष हिस्सा 1/2 का खातेदार रामसहाय पुत्र नारायण रहे है। प्रार्थीगण का निवेदन रहा कि प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज भोलाराम ने खातेदार लादू से उसके हिस्से 1/2 मे से 3 बीघा 7 बिसवा भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.11.1966 क्रय कर कब्जा प्राप्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया है। प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का पूर्वज भोलाराम अनपढ था, जिसने विक्रय पत्र में अमल नहीं करवाया।

साबिक खसरा नम्बर 11 के खातेदारान द्वारा भूमि अन्तरण के परिणाम स्वरूप रकबा 3 बीघा भूमि की खातेदारी अर्जुन पुत्र गणेश, सुरज्ञानी पुत्र भग्गा, तथा 5 बीघा 17 बिसवा की खातेदारी सुण्डा, लच्छू, मुरली, छोटिया पिता श्योबक्स के नाम हाल सैटिलमेंट कार्यवाही से पूर्व ही अंकित हो चुकी है तथा शेष रही भूमि 14 बीघा 13 बिसवा की खातेदारी पूर्ववत् मूल खातेदारान के नाम ही दर्ज रह गयी थी। उक्तानुसार पूर्ववत खातेदारी दर्ज होने से उक्त रकबे का अन्तरण कर अन्य के नाम खातेदारी दर्ज करवा दी, किन्तु भूमि के पुनः अन्तरण के तहत अप्रार्थी सं॰ 2 के नाम खातेदारी में दर्ज हुई, तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने आराजी मुतनाजा को अप्रार्थी संख्या 1 को अन्तरित कर दी तथा अप्रार्थी ने नामान्तकरण संख्या 85 दिनांक 09.11.2015 के द्वारा खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे

अप्रार्थी का निवेदन रहा कि अप्रार्थी संख्या 1 ने आराजी मुतनाजा पूर्व खातेदार अप्रार्थी सं॰ 2 से उचित प्रतिफल अदा कर उसके हक में राजस्व रिकार्ड के आधार एवं कब्जे काश्त के आधार अपने नाम बैयनामा करवाकर कब्जा प्राप्त किया है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अंकन को शून्य कराने के अधिकारी नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 32/0.32 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 11 से बना है, परन्तु प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा क्रय किये गये रकबा 3 बीघा 7 बिसवा का किसी भी प्रकार से अंग नहीं है। यह भी कि प्रार्थीगण के पास खसरा नम्बर 34 का किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्णरूप से कानूनी प्रक्रिया अपनाकर खातेदारी प्राप्त की है, जिस खातेदारी को दुरूस्त या शून्य कराने का प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

निष्कर्षतः प्रार्थी का मूल वाद दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती मिलान क्षेत्रफल से संबंधित है तथा दोनो पक्षों के मध्य आराजी मुतनाजा के कब्जे काश्त को लेकर विवाद है। साबिक खसरा नम्बर 11 रकबा 23 बीघा 10 बिसवा के हिस्सा 1/2 का खातेदार लादू पुत्र बक्सा तथा शेष हिस्सा 1/2 का खातेदार रामसहाय पुत्र नारायण रहे है। प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज भोलाराम ने खातेदार लादू से उसके हिस्से 1/2 मे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से 3 बीघा 7 बिसवा भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.11.1966 क्रय किया तथा उक्त रकबे को हाल खसरा नम्बर 34/0.32 हैक्टेयर का अभिन्न अंग मानता है, जिसकी घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती का वाद पेश किया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने आराजी मुतनाजा पूर्व खातेदार अप्रार्थी सं॰ 2 से उसके हक में राजस्व रिकार्ड के आधार एवं कब्जे काश्त के आधार अपने नाम बैयनामा करवाकर कब्जा प्राप्त किया है। यह भी कि प्रार्थीगण के पास खसरा नम्बर 34 का किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। यह कि वादी का मूल वाद अप्रार्थी संख्या 2 के जवाब पेश करने पर नियत चल रहा है। तथा दोनो पक्षों के मध्य आराजी मुतनाजा के कब्जे काश्त को लेकर विवाद है, अतः प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के यह आवश्यक एवं न्यायसंगत है कि दोनो पक्षों से कब्जे काश्त एवं रिकार्ड दुरूस्ती से संबंधित पूर्ण साक्ष्य सबूत लिए जावें, साथ ही सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावे तथा पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार अनावश्यक विवाद नहीं बढे, अनावश्यक मुकदमेंबाजी नहीं बढे इसके लिए दोनो पक्षों को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत होगा कि आराजी मुतनाजा के कब्जा काश्त व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें, किसी भी प्रकार से एक–दूसरे के कब्जे काश्त में बेजा दखल नहीं करें।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस कदर स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम चक गौरावडी के खसरा नम्बर 34/0.32 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें, एक–दूसरे कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट पापडा दिनांक 28.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर